तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अभयसिंह चौहान बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार शेरगढ) सू.अ.अ. अपील संख्या 29/2021	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.03.21	अपीलार्थी अभयसिंह चौहान, पता पहाड़गंज कॉलानी–2, मण्डोर रोड, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.01.2021 में उसके द्वारा (1) गावं हिन्कुड़ी ग्रा.पं भोमसागर हलका पटवारी चाबा तहसील शेरगढ का वर्ष 2020–21 खरीफ फसल जो माह जुलाई 2020 में बुबाई की थी इस गांव में फसले खराब के प्रतिशत कितना रहा एवं कितना प्रतिशत अकाल घोषित किया गया, इससे संबंधत सूचना एवं अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार शेरगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार शेरगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार शेरगढ) से जरिये पत्रांक 1870 दिनांक 08.03.2021 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमे बतलाया कि प्रार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित सूचना प्रार्थी द्वारा एक ही सूचना अलग अलग समय में बार बार मांगने पर इस कार्यालय से पत्र कमांक/भू.अ./सू.अ./2019/1703 दिनांक 27.11.19 एवं पत्रांक/भू.अ./2020/940 दिनांक 14.07.20 एवं पत्रांक/भू.अ./2020/1133 दिनांक 02.09.2020 के द्वारा प्रार्थी को सूचनांए उपलब्ध करवाई जा चुकी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 11.01.21 निर्धारित शुल्क के साथ पेश हुआ उस पर सूचना दी गई या नहीं, लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं हो रहा है अतः लोक सूचना अधिकारी की उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट से सहमत नहीं है तथा अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार शेरगढ) को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सूचना अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	